प्रेस नोट दिनाँक-18.09.2021

(1). आज दिनांक 18.09.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार कर्वी में किया गया।

जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समाधान दिवस में आये हुये फरियादियों की समस्याएं सुनीं गयीं एवं उनके निस्तारण हेतु राजस्व एवं पुलिस की सयुंक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण करने निर्देश दिये गये एवं साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जो भूमि संबंधी मामले प्राप्त हो रहे हैं उसमें राजस्व व पुलिस की टीम मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये।

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मुख्य विकासाधिकारी श्री अमित आसेरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रैट कर्वी पूजा यादव, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री संजय उपाध्याय एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनाँक-18.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलायमान रखने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव तथा पीटीओ0 श्री वीरेन्द्र राजभर की संयुक्त टीम द्वारा बेड़ी पुलिया नो इण्ट्री प्वाइंट पर बिना हेलमेट/सीटबेल्ट, 03 सवारी/ओवरलोड/बिना परमिट बसों की चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान प्राइवेट बसों को चेक किया गया जिसमें ओवरलोड सवारी न भरने हेतु बताया गया एवं ओवरलोड सवारी/बिना परमिट चलने वाली बसों का चालान किया गया । चेकिंग के दौरान ओवरलोड पाये गये 02 ट्रकों की सीज किया गया । यातायात प्रभारी द्वारा पटेल तिराहा, गल्ला मण्डी, सोनेपुर रोड पर बुलट गाड़ियो को चेक कर गाड़ियों में लगे मोडीफाई साइलेंसर को निकलवाकर चालान किया गया । यातायात प्रभारी द्वारा बुलट गाडियों के चालकों से कम्पनी द्वारा निर्धारित साइलेंसर लगाने हेतु बताया गया । वाहन चेकिंग के दौरान यातायात प्रभारी द्वारा चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं तेज गति से वाहन न चलाने एवं हेलमेट अवश्य पहनने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया । चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले 58 वाहनों से 62000/- रूपये पेण्डिंग ई चालान किया गया ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बाबूलाल द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायाधीश श्री दीपनारायण तिवारी विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधि0 1983 जनपद चित्रकूट द्वारा दिनाँक 18.09.2021 को मु0अ0सं0 669/2012 धारा 216 ए भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी के आरोपित अभियुक्त सुरेश पटेल पुत्र श्यामलाल निवासी खांच रूकमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत आज दिनांक 18.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में

भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।